

विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

प्रश्न
4(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कौशाम्बी में कितने बालू घाटों पर कहाँ-कहाँ खनन के पट्टे किन-किन को स्वीकृत किये गये हैं?

उत्तर
जी हाँ।
जनपद कौशाम्बी में बालू/मोरम के कुल 09 बालू घाटों पर खनन हेतु पट्टे स्वीकृत हैं। (वर्तमान में मानसून सत्र होने के कारण दि० 01.07.2022 से 30.09.2022 तक खनन कार्य प्रतिबन्धित है), विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	स्वीकृत खण्ड/ग्राम का नाम	पट्टाधारक का नाम व पता
1.	खण्ड संख्या 11/37 से 11/39, क्षेत्रफल 16 हेक्टर, ग्राम-ऐंगवा, तहसील-मंझनपुर	मे० प्राइम विजन इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० प्रा० कवच कुमार निर्मल निवासी-312, तृतीय फ्लोर विशाल चैम्बर पी-1, सेक्टर-18 नोएडा, यू०पी०।
2.	खण्ड संख्या 10/19 से 10/21, क्षेत्रफल 10 हेक्टर, ग्राम-कटैया, तहसील-चायल	मे० अमन ब्रिक फील्ड प्रा० जावेद अली पुत्र श्री साबिर अली निवासी -सुभाष नगर सैनी, थाना-सैनी तहसील-सिराथू, जनपद-कौशाम्बी।
3.	खण्ड संख्या 13/15 से 13/17, क्षेत्रफल 11 हेक्टर, ग्राम-बड़हरी	श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री राम खेलावन निवासी-चक नगर द्वितीय, तहसील -मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी।
4.	खण्ड संख्या 7/17, क्षेत्रफल 09 हेक्टर, ग्राम-रसूलपुर ब्यूर	श्री इन्द्रासन मौर्या पुत्र श्री भृगुनाथ मौर्या निवासी-मुलायम नगर इस्माइलगंज, थाना-गाजीपुर, जिला -लखनऊ उ०प्र०।
5.	खण्ड संख्या 15/35 से 15/39, क्षेत्रफल 10 हेक्टर, ग्राम-उमरावां	मे० खुशी इन्टरप्राइजेज प्रा० संतोष तिवारी पुत्र श्री सुरेन्द्र तिवारी निवासी मकान नं०-सी० 144 सेक्टर ई., थाना-अलीगंज, जनपद लखनऊ।
6.	खण्ड संख्या 9/27 से 9/29, क्षेत्रफल 21.50 हेक्टर, ग्राम-मोहम्मदाबाद केवट का पुरवा	मे० मॉ वैष्णों ट्रेडर्स प्रा० श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री बलजोर निवासी ग्राम-निधियावां, थाना-कोखराज, तहसील -सिराथू, जनपद-कौशाम्बी।
7.	खण्ड संख्या 9/20 से 9/21, क्षेत्रफल 14 हेक्टर, ग्राम-नन्दा का पुरवा	मे० कृष्णा इन्टर प्राइजेज प्रा० श्री रूपेश त्रिपाठी पुत्र श्री राम नरेश त्रिपाठी निवासी-गनपा, तहसील -सिराथू, जनपद-कौशाम्बी।
8.	खण्ड संख्या 11/15 से 11/16, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टर, ग्राम-दिया	मे० मनाली बिन्द्रेड प्रा०लि० प्रा० श्री शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री मो० छिदू निवासी-259पुर, कानपुर देहात, उ०प्र०
9.	खण्ड संख्या 9/25 से 9/26, क्षेत्रफल 16 हेक्टर, ग्राम-मोहम्मदाबाद केवट का पुरवा	श्री रवि शंकर गुप्ता पुत्र स्व० हीरा लाल निवासी-दरानगर तहसील-सिराथू, जनपद-कौशाम्बी।

(ख) किन-किन घाटों पर अवैध बालू खनन एवं ओवर लोडिंग की जाँच के दौरान अनियमितता पाई गई है ?

जनपद कौशाम्बी के 05 घाटों पर बालू/मोरम खनन व ओवरलोडिंग की जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितता का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	स्वीकृत खण्ड/ग्राम का नाम
1.	खण्ड संख्या 11/37 से 11/39, क्षेत्रफल 16 हेक्टर, ग्राम-ऐंगवा, तहसील-मंझनपुर।
2.	खण्ड संख्या 10/19 से 10/21, क्षेत्रफल 10 हेक्टर, ग्राम - कटैया, तहसील-चायल।
3.	खण्ड संख्या 13/15 से 13/17, क्षेत्रफल 11 हेक्टर, ग्राम - बड़हरी।
4.	खण्ड संख्या 15/35 से 15/39, क्षेत्रफल 10 हेक्टर, ग्राम - उमरावां।
5.	खण्ड संख्या 9/27 से 9/29, क्षेत्रफल 21.50 हेक्टर, ग्राम - मोहम्मदाबाद केवट का पुरवा।
6.	वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल से अब तक अवैध परिवहन/ओवरलोडिंग के प्रकरणों में कुल 332 वाहन पकड़े गये जिन पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये रु० 86.78 लाख का शमन शुल्क वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है।

(ग) उक्त जाँच निष्कर्षों के आधार पर किन-किन पट्टा धारकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

उक्त खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध जाँचोपरान्त निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :-

क्र०	पट्टाधारक के विरुद्ध कृत कार्यवाही
1.	मे० प्राइम विजन इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० प्रो० कवच कुमार निर्मल निवासी-312, तृतीय फ्लोर विशाल चैम्बर पी-1, सेक्टर 18 नोएडा, यू०पी० के विरुद्ध धनराशि रु० 68,09,000/- की नोटिस निर्गत किया गया है।
2.	मे० अमन ब्रिक फील्ड प्रो० जावेद अली पुत्र श्री साबिर अली निवासी-सुभाष नगर सैनी, थाना-सैनी, तहसील-सिराथू, जनपद -कौशाम्बी के विरुद्ध धनराशि रु० 10,54,400/- की नोटिस निर्गत किया गया है।
3.	श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री राम खेलावन निवासी-चक नगर द्वितीय, तहसील-मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी के विरुद्ध धनराशि रु० 36,24,200/- की नोटिस निर्गत किया गया है।
4.	मे० खुशी इन्टरप्राइजेज प्रो० संतोष तिवारी पुत्र श्री सुरेन्द्र तिवारी निवासी-मकान नं०-सी० 144, सेक्टर ई., थाना-अलीगंज, जनपद-लखनऊ के विरुद्ध धनराशि रु० 12,04,200/- की नोटिस निर्गत किया गया है।
5.	श्री रवि शंकर गुप्ता पुत्र स्व० हीरा लाल निवासी-दारानगर, तहसील-सिराथू, जनपद-कौशाम्बी के विरुद्ध धनराशि रु० 75,35,000/- की नोटिस निर्गत किया गया है।

(घ) अवैध बालू खनन एवं ओवर लोडिंग रोकने हेतु क्या कार्ययोजना है ?

जनपद कौशाम्बी में अवैध बालू/मोरम खनन एवं ओवर लोडिंग रोकने हेतु शासन के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा खनन क्षेत्रों में पी0टी0जेड0 कैमरा व वे-ब्रिज को स्थापित कराया गया है उक्त के अतिरिक्त अवैध बालू/मोरम का परिवहन/ओवर लोडिंग रोकने के लिए जिलाधिकारी कौशाम्बी द्वारा दिनांक 04.05.2022 से 30.06.2022 तक 24 X 7 पुराना थाना भवन महेवाघाट के सामने बैरियर पर अधिकारियों की तैनाती की गयी थी। जनपद के दो प्रमुख मार्गों तिल्हापुर मोड़ के पास व लेहदरी पुल के पास चेक गेट का निर्माण कराया जा रहा है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।